न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 12/2019 जिला–दौसा।

पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल गोयल।

हरिकिशन पुत्र हरिया उर्फ हीरालाल जाति मीना निवासी नयागांव, तहसील महवा जिला दौसा राज0।

अपीलान्ट्

बनाम

1. जयलाल उर्फ जैयलाल पुत्र मांगीलाल
2. जयराम पुत्र मांगीलाल
3. दीपराम पुत्र मांगीलाल
   समस्त जाति मीना निवासी नयागांव तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा दिनांक 25.02.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 232/2018

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री सतीश कुमार पारीक।
2. अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी।

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.02.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल..आर. एक्ट जयलाल वगैराह बनाम राजस्थान सरकार में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 25.02.2019 पारित किया जाकर ग्राम नयागांव तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 494, 495, 498 व 499 की किस्म गै0 मु0 तलाई के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज की जाने के आदेश दिये गये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 कुल किता 4 रकबा 0.17 है0 तन ग्राम नयागांव तहसील महवा जिला दौसा में स्थिति है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी गै0मु0 तलाई दर्ज है तथा पूर्व में भी संवत 2020 में भी उक्त भूमि की किस्म तलाई दर्ज हैं तथा उक्त भूमि मौके पर तलाई के रूप में ही मौजूद है तथा तलाई में पानी भरा हुआ हैं जो गांव के पशुओ के पीने के काम आता हैं। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह सिद्धांन्त प्रतिपादित किया है नदी नाले तलाई आदि की भूमि की किस्म में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नही किया जा सकता है तथा पूर्व में भी यदि गलत अंकन कर दिया गया है तो उसको सही कर नदी नाले तलाई के रूप में पुनः दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार महवा द्वारा जवाब देने के बावजूद भी जानबुझकर रेस्पो0 को लाभ पहुचाने की गरज से तहसीलदार की बहस सुने बिना ही मात्र रेस्पो0 की बहस सुनकर मौके व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत जाकर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पो. को तहसीलदार महवा द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही कर बेदखल भी किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को इगनोर कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की हैं। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 25.02.2019 निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेंटस् संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम नयागांव तहसील महवा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 कुल किता 4 रकबा 0.17 है0 की खतौनी संवत 2050–69 में खसरा नम्बर 494, 495, 498 की किस्म बंजड व खसरा नम्बर 499 गे0 मु0 बाडा दर्ज हैं जबकि संवत 2063–66 में उक्त खसरा नम्बरान की किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज हैं। वर्तमान खसरा नम्बर 494, 495, 498 की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2000–2019 में खसरा नम्बर 101 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज हैं। भूमि एकीकरण के मिलान क्षैत्रफल संवत 2020 मे खसरा नम्बर 101 से नये खसरा नम्बर 134 व 135 मिन बनाये गये है। भू–प्रबंध के दौरान नवीन खसरा नम्बर 494, 495, 498 की किस्म आबादी के बजाय बंजड दर्ज कर दी है जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट् विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अपने हितों के लिये अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलान्ट् को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जिससे अपीलान्ट् को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान समय पर नहीं होना स्वभाविक है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट् के प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद आराजी खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 ग्राम नयागांव तहसील महवा जिला दौसा से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नयागांव तहसील महवा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 कुल किता 4 रकबा 0.17 है0 की खतौनी संवत 2050–69 में खसरा नम्बर 494, 495, 498 की किस्म बंजड व खसरा नम्बर 499 गे0 मु0 बाडा दर्ज हैं जबकि संवत 2063–66 में उक्त खसरा नम्बरान की किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज हैं। वर्तमान खसरा नम्बर 494, 495, 498 की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2000–2019 में खसरा नम्बर 101 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज हैं। भूमि एकीकरण के मिलान क्षैत्रफल संवत 2020 मे खसरा नम्बर 101 से नये खसरा नम्बर 134 व 135 मिन बनाये गये है। भू प्रबंध के दौरान नवीन खसरा नम्बर 494, 495, 498 की किस्म आबादी के बजाय बंजड दर्ज कर दी है जिसे दुरूस्त किये जाने के आंदेश दिये जावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के द्वारा तहसीलदार महवा जिला दौसा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 25.2.2019 को प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम नयागांव तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 सरकारी भूमि है जो पूर्व में तलाई थी तथा वर्तमान में भी तलाई हैं। गै0मु0 तलाई होने के कारण प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3) को बेदखल करना आवश्यक है। तहसीलदार महवा की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 पारित करते हुये अपने निर्णय में अंकित किया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

कि वर्तमान खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 की किस्म गै0 मु0 तलाई कभी भी नही रही है। किन्तु जमाबंदी संवत 2063–66 में वादग्रस्त भूमि की किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज कर दी गयी है जो गलत हैं। खतोनी बन्दोबस्त संवत 2000–2019 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के तत्समय के खसरा नम्बर 101 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है। इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नयागांव तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 494, 495, 498 व 499 की किस्म गै0 मु0 तलाई के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज किये जाने के तहसीलदार महवा को निर्देशित किया गया है।

8. हम समझते है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि ग्राम नयागांव तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 सरकारी भूमि है जो पूर्व में तलाई थी तथा वर्तमान में भी तलाई हैं तथा गै0 मु0 तलाई होने के कारण प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 3) को बेदखल करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 वाके ग्राम नयागांव के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार महवा की रिपोर्ट, वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं हितबद्ध/प्रभावित पक्षकारो को सूने जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार महवा की उक्त रिपोर्ट को नजर अंदाज करते हुये बिना हितबद्ध/प्रभावित पक्षकारो को सुने एवं बिना वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 के प्रार्थना पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 494, 495, 498, 499 वाके ग्राम नयागांव के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किये बगैर तथा बिना वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये एवं बिना हितबद्ध/प्रभावित पक्षकारो को सुने पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः परिणामतः अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं हितबद्ध/प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

Scanned by CamScanner